

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अति. शि./2026-27/652

भोपाल, दिनांक 30-06-2026

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।
4. समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्र./2013 दिनांक 04.07.2019।

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिपेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें-

1. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण ► लॉन्ग टर्म- रिक्तियां (Long Term)

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग-टर्म रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जायेगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा, कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं (सेक्शन) एवं समयसारणी (टाइम-टेबल) में कुल कालखण्ड की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक से न्यूनतम 4 कालखण्ड एवं अधिकतम 6 कालखण्ड में अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। इसी प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लेब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है वहा भी आवश्यकता नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें।

► Short टर्म रिक्तियां-

ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश/प्रशिक्षण/अन्य के कारण उत्पन्न रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जायेगी। रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।



2. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही-

2.1 शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जायेगा।

2.2 संदर्भित पत्र क्र.-2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

2.3 अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय-सारणी

प्रथम चरण में केवल अकादमिक (शैक्षणिक पदों हेतु) अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही -

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद है ऐसी स्थिति में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी द्वारा रिक्ति अपडेट करने के उपरांत रिक्ति GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होगी, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही-

क्र.	गतिविधियाँ	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	लॉन्ग-टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन।	शाला प्रभारी	01.07.2026 से 06.07.2026 तक
2	Short टर्म रिक्ति केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना।	संकुल प्राचार्य	01.07.2026 से प्रारम्भ
3	संकुल प्राचार्य द्वारा Short टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापन।	ज़िला शिक्षा अधिकारी	01.07.2026 से प्रारम्भ
4	विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना।	आवेदक द्वारा	01.07.2026 से 06.07.2026 तक
5	विगत सत्र में यदि एक पैनल पर दो या दो से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समयसीमा में री-ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को री-ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी, ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना।	आवेदक द्वारा	07.07.2026 से 08.07.2026 तक
6	शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना।	शाला प्रभारी	01.07.2026 से 08.07.2026 तक

2.4 माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही री-ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे।

2.5 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे।

AM

2.6 यदि किसी पैनल में गतवर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष में 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जायेगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

2.7 विगत सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आई.डी. से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में की जाए।

2.8 विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक/व्यावसायिक/शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाये जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को Reject करने की कार्यवाही करेंगे। रिजेक्ट करने का कारण अनिवार्यतः अंकित करना होगा।

2.9 विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समयसीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक/उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियाँ हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

2.10 शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर, हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे।

2.11 आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिक्वेस्ट एवं विद्यालय के शाला प्रभारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर यदि आवेदक की ऑनलाइन जॉइनिंग नहीं हो पाती है तो आवेदक निर्धारित समयसीमा के उपरांत ज्वाइनिंग इनिंग हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे।

3. प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिये आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिये गये विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा जिसकी संभावित समयसारणी निम्नानुसार है-

3.1 रिक्त पदों का अपडेशन एवं शेष रिक्त शैक्षणिक पदों तथा गैर शैक्षणिक पदों पर री- ज्वाइनिंग - द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समयसारणी.

क्र.	गतिविधियाँ	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	लॉन्ग-टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन।	शाला प्रभारी	10.07.2026 से 12.07.2026 तक
2	विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना।	आवेदक द्वारा	10.07.2026 से 13.07.2026 तक
3	विगत सत्र में यदि एक पैनल पर दो या दो से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समयसीमा में री-ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को री-ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी, ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना।	आवेदक द्वारा	14.07.2026
4	शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना।	शाला प्रभारी	10.07.2026 से 14.07.2026 तक



3.2 शाला विकल्प चयन की कार्यवाही - शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु

क्र.	गतिविधियाँ	समयसीमा
1	शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन	15.07.2026
2	इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना	16.07.2026 से 18.07.2026 तक
3	शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन	21.07.2026
4	अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना	21.07.2026 से 23.07.2026 तक
5	शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर Accept/Reject कर Accept की स्थिति में उपस्थिति करना	21.07.2026 से 24.07.2026 तक

3.3 शाला विकल्प चयन की कार्यवाही- शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु

क्र.	गतिविधियाँ	समयसीमा
1	शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन	25.07.2026
2	इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना	26.07.2026 से 28.07.2026 तक
3	शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन	30.07.2026
4	अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना	30.07.2026 से 31.07.2026 तक
5	शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर Accept/Reject कर Accept की स्थिति में उपस्थिति करना	30.07.2026 से 31.07.2026 तक


4. सामान्य निर्देश -

- 4.1 शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाये।
- 4.2 आवेदक की शाला में ज्वाइनिंग के पूर्व शाला प्रभारी द्वारा उस पेनल (विषय) से सम्बंधित समस्त योग्यता के दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत पोर्टल पर ज्वाइन कराये। यदि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर उपस्थिति सत्यापन की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का होगा।
- 4.3 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों (अतिथि शिक्षकों) की ई अटेंडेंस 90 प्रतिशत या 90 प्रतिशत से अधिक है, वह आवेदक ही सत्र 2026-27 हेतु री- ज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे।
- 4.4 अतिथि शिक्षक की सेवाएँ पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।
- 4.5 अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रतिदिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के एप "हमारे शिक्षक" के माध्यम से शाला प्रारम्भ होने के निर्धारित समय पर उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जायेगी दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा, जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी।



- 4.6 अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयसीमा में उपस्थिति हमारे शिक्षक एप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा।
- 4.7 समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान करेंगे।
- 4.8 अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनो को संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जायेगा अभ्यर्थी ई मेल आईडी- dpi.atithi@gmail.com पर अभ्यावेदन भेज सकेंगे।
- उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)



(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/अति. शि./2026-27/ 653

भोपाल, दिनांक 30-06-2026

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. महाप्रबंधक निक्सी, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर समस्त जिले।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
7. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।


(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.